न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 84/2020

दायरा दिनांक:– 22.07.2020

–: अनवान :–

भालाराम उर्फ चेतराम माता रेशमी देवी पिता अर्जुनराम जाति सुनार निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

.....वादी

बनाम

1. शारदा माता रेशमी देवी पिता अर्जुनराम जाति सुनार निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राधादेवी माता रेशमी देवी पिता अर्जुनराम जाति सुनार निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांक:– 19/09/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी न. 1–2 के नाम से चक/गांव ऐटा पटवार हल्का ठेठार की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 13/174 के खसरा नम्बर 286, 290, 321, 599/194, 629/287 मे कुल 23.7940 है0 संयुक्त खाते मे भालाराम, शारदा,राधा माता रेशमी देवी के नाम से 1/24 हिस्सा हर तीन ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा कास्त मे चला आ रहा है। वाद पत्र के पैरा संख्या दो मे जो रकबा है। उस जमाबन्दी मे प्रतिवादी संख्या 1–2 के साथ वादी का नाम भालाराम दर्ज किया हुआ है। अब वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1–2 ने अपने हिस्सा की भूमि मे टयूबैल लगाने के लिए व बहनो द्वारा भाई वादी के पक्ष मे हकत्याग करने के लिए कागजात तैयार करवाये तो पता चला कि जमाबन्दी मे नाम भालाराम है जबकि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड व अन्य कागजातो चेतराम नाम दर्ज है। वादी को दो नाामो से पुकारा जाता है। ननिहाल मे भालाराम कहते थे व माता पिता के साथ गांव मे चेतराम के नाम से पुकारा जाता था। इस लिए वादी की नानी के स्वर्गवास हो जाने के बाद जो रकबा माता व माता से वादी व प्रतिवादी नम्बर 1–2 के नाम आया तो उसमें वादी का नाम भालाराम दर्ज करवा दिया। जबकि वादी एक ही व्यक्ति को भालाराम व चेतराम नामो से पुकारा जाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:49:31 IST
Reason: SelfAttested

इस बाबत ग्रांम पंचायत खोडा की पंचायत की तस्दीक व प्रधानाध्यापक रा0मा0 विधालय खोडा के प्रमाण पत्र भी साथ लगे है जो वादी के इस कथन को सत्य साबित करते है। वादी चेतराम उर्फ भालाराम के नाम की घोषणा करवाना चाहता है। ताकि जहाँ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे जहा भालाराम नाम है वहाँ उर्फ चेतराम भी अंकन करने की डिक्री जारी की जावे। वादी को होने वाली समस्या का निदान हो सके व रिकार्ड मे जहाँ भालाराम है वहाँ उर्फ चेतराम दर्ज किया जावें ताकि वादी अपने आधार कार्ड व वोटर आई डी कार्ड के आधार पर भूमि का रिकार्ड सही करवा सके। वादी के दावा डिक्री होने से वादी की बहनो प्रतिवादीगण नम्बर 1–2 के हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा व प्रतिवादीगण भी इस बात से सहमत है व अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है चूंकि उनके हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा चूंकि उनके हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा चूंकि वादी अपने हिस्सा मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करवा रहा है। महज अपने नाम भालाराम के आगे उर्फ चेतराम लगाना चाहता है। इसलिए वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया हैं। अतः वाद पत्र वादी का स्वीकार किया जावे तथा अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार तहसील सूरतगढ़ के ग्राम ऐटा जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 13/174 में संयुक्त खाते में वादी का नाम भालाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो वोटरकार्ड, आधारकार्ड में वादी का नाम मांगीलाल दर्ज है। प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खोडा तहसील रावतसर व ग्राम पंचायत खोडा, पंचायत समिति रावतसर द्वारा तस्दीक दी गई हैं कि चेतराम उर्फ भालाराम एक ही व्यक्ति हैं, चेतराम पुत्र अर्जुनराम सोनी का दूसरा नाम भालाराम है जो कि गलत हैं, इसका सही नाम चेतराम हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो वादी की बहने हैं तथा वादाधीन भूमि में सहखातेदार भी है, ने इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर अपनी सहमती दी है। इसलिए वादाधीन भूमि में वादी का नाम भालाराम उर्फ चेतराम दर्ज करने बाबत दावा स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के ग्राम ऐटा पटवार हल्का ठेठार की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 13/174 के खसरा नम्बर 286, 290, 321, 599/194, 629/287 मे कुल 23.7940 है0 संयुक्त खाते मे भालाराम, शारदा,राधा माता रेशमी देवी के नाम से 1/24 हिस्सा हर तीन ब0हि0ब0 दर्ज खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का **भालाराम** के स्थान पर **भालाराम उर्फ चेतराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/10/2020 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:49:31 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

भालाराम उर्फ चेतराम माता रेशमी देवी पिता अर्जुनराम जाति सुनार निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

.....वादी

बनाम

1. शारदा माता रेशमी देवी पिता अर्जुनराम जाति सुनार निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राधादेवी माता रेशमी देवी पिता अर्जुनराम जाति सुनार निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 84 वर्ष 2020 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री अमित कुमार सैनी व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के ग्राम ऐटा पटवार हल्का ठेठार की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 13/174 के खसरा नम्बर 286, 290, 321, 599/194, 629/287 मे कुल 23.7940 है0 संयुक्त खाते मे भालाराम, शारदा,राधा माता रेशमी देवी के नाम से 1/24 हिस्सा हर तीन ब0हि0ब0 दर्ज खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का **भालाराम** के स्थान पर **भालाराम उर्फ चेतराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी।

नोज......... × .... मुबलिग........× .... बाबत.........×.... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × .... फस्दो की पालना ..... ×.... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19/08/2020

को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:49:31 IST
Reason: SelfAttested